मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 16 मार्च,2000 (फाल्गुन 26,1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार :-

(क) मध्यप्रदेश निर्यात निगम, मर्यादित का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए,

(ख) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 1996); तथा

(ग) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1997-98 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 1998, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र बौद्ध, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1998-99, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 59 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 345-4-1-ई-आर-सी-99, दिनांक 30 अक्टूबर, 1999, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री धनेशराम राठिया, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998- 99, पटल पर रखेंगे.

(5) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, खरगौन जिले के बड़वाह वन मंडल के अंतर्गत अवैधानिक रूप से रेत उत्खनन हेतु अनुमति दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर स्थित जे.सी. मिल के कर्मचारियों को बकाया देन दारियों का भुगतान व वैकल्पिक रोजगार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले के वनग्राम दूधीटांगर में मृत आदिवासी परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध न कराई जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री प्रभाकर सिंह, बाबूलाल गौर, सदस्य, सतना जिले के नगर पंचायत कोटर का चुनाव न कराये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, भोपाल शहर में विद्युत शुल्क के रूप में अधिक वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, जबलपुर जिले के मझौली कस्बे में मृत मोटर साइकिल सवार के आरोपियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, ग्वालियर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित जबलपुर द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर पोलियेस्टर क्रय किये जाने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह आर्य, सदस्य, ग्वालियर नगर में एक इमारत का अवैधानिक तरीके से निर्माण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा थानान्तर्गत एक शिक्षक' पर प्राण घातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, सिवनी जिले के कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, भोपाल के केरवा डेम स्थित कोठी में एक आरक्षक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रमाकांत तिवारी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, एडव्होकेट विद्यावती पटेल, सदस्य, रीवा कोषालय अधिकारी द्वारा देयकों के पास करने में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

—2

4. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 12 नवम्बर, 1999 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 82 (क्रमांक 3681) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश किराया विधेयक,1999 (क्रमांक 25 सन् 1999) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय"

(2) श्री हरवंश सिंह, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे: -

"मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक,1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय"

निर्धारित समय

6. संकल्प

1 घन्टा (1) श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह कि यह सदन भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 द्वारा किये जाने कि लिए प्रस्तावित है".

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह सभा संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित विषय और उससे संसक्त या उससे प्रासंगिक और आनुषंगिक समस्त अन्य विषयों को मध्यप्रदेश राज्य में संसद द्वारा विधि अनुसार विनियमित किया जाए".

7. संविहित संकल्प

श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 में किये गये संशोधनों के अनुमोदन संबंधी संकल्प प्रस्तुत करेंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री डोमन सिंह नगपुरे,राज्यमंत्री श्रम,मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2000) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

30 मि. (3) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 5 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (4) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 3 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (5) श्री महेन्द्र सिंह, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (6) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 8 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 15 मार्च, 2000